रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 267] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1975/आश्विन 2, 1897

No. 267] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1975/ASVINA 2, 1897

CENTRAL ... Date ... GOVT. OF IND

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 24th September 1975

G.S.R. 502(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 74-Cus. [G.S.R. No. 373(E)], dated the 1st July, 1975, namely :—

In the Schedue annexed to the said notification, for the figures "11.82" under column (3) shown against S. No. 17, the figures "11.07" shall be substituted.

[No. 88-Cus./F. No. 503/5/75-Cus.VI]

V. S. NAIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली 24 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 502(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 74-सीमाशुल्क [सा० का० नि० सं० 373(ई)], तारीख 1 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में, क्रम सं० 17 के सामने स्तम्भ (3) के नीचे दर्शित "11.82" अंक के स्थान पर "11.07" अंक क्रमानुसार प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 88/फा० सं० 503/5/75-सीमाशुल्क-VI]

बी० एस० नाईक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975